

31/12/24

पत्रबली पेश डूवी। वकील जयवी की देवडान्त आस उपरिवात है। पत्रबली
वास्ते आहैरा ज० पत्र चारा 212-RTA बखल नियत है। पत्रबली में

लागातार

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी

भिनाय (अजमेर)

अन्तर्गत धारा:-.....

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज

कम

उपलब्ध दस्तावेजों तथा माननीय न्यायालय के अधिकारी नजीर के गहनतापूर्वक अध्ययन तथा व्यवसाय प्रमाणपत्रधारण पर मनन उपरान्त शर्षीगण द्वारा उक्त शर्षीगण धारा 212 तथा अन्तर्गत अनुसूची संख्या नही होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फिल शुमार है। नम्बर से कम घंटे शामिल घण्टे है। विस्तृत नियम मेरे द्वारा पुष्प से लिखाया जाकर शामिल निरूपण किया गया। नियम आज दिनांक 21/12/24 को सरे राजनास बुनाया गया।

S D O. B. S. N. A. T.
 उपखण्ड अधिकारी
 भिनाय (अजमेर)